

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 29.09.2026 को उ0नि0 नन्दू कुमार यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में तलाश वांछित/वारण्टी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर/प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नौहर हुसैनपुर पहुंचकर वारण्टी अभियुक्त विनय कुमार उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र राजीत राम निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त विनय कुमार के विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डी0), कक्ष संख्या-22, प्रतापगढ़ से संबंधित वाद VINAY KUMAR बनाम KANDHAI / 209/2008, Old Criminal Case/1504635/2008, मु0अ0सं0 209/2008, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ में वारण्ट जारी था।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 नन्दू कुमार यादव

पीआरडी विनोद कुमार सरोज

रि0का0 रोशन यादव

रि0का0 राहुल बेनवंशी

पीआरडी चालक विजय कुमार

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अन्तू के उ०नि० रवीन्द्र कुमार यादव मय हमराह का० कन्हैया विश्वकर्मा व का० रवि पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/शान्ति व्यवस्था/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्गत वारंट स्पेशल ट्रायल/125/2019, मु०अ०सं० 111/2018 धारा 138 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार वर्मा से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम आधार वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम धरौली, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम धरौली स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम आधार वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम धरौली, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० रवीन्द्र कुमार यादव मय हमराह का० कन्हैया विश्वकर्मा व का० रवि पटेल, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा छिनैती की झूठी सूचना देकर धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अरुणेंद्र कुमार ओझा उर्फ साहब ओझा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई।

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम पुरखीपुर थाना सोरांव जनपद प्रयागराज दिनांक 06.09.2026 को ग्राम मद्दू का पूरा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ में 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असलहा सटाकर बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस अरुणेंद्र कुमार से जबरन छीन ली गई। इस संबंध में थाना बाघराय पर मु०अ०सं० 250/26 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही/बरामदगी के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 318(4), 316(2), 317(2) बीएनएस बढोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का0 सोनू कुमार व का0 यादवेन्द्र यादव द्वितीय द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 250/2026 धारा 318(4), 316(2), 317(2) बीएनएस थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अरुणेन्द्र कुमार ओझा उर्फ साहब ओझा पुत्र अनिल ओझा, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी सतनापुर खरगापुर, थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज को थाना क्षेत्रान्तर्गत टोड़ी का पुरवा नहर पुल, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरुणेन्द्र कुमार ओझा उर्फ साहब ओझा पुत्र अनिल ओझा, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी सतनापुर खरगापुर, थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज।

बरामदगी-

01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का0 सोनू कुमार व का0 यादवेन्द्र यादव द्वितीय, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 11.74 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine) बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार एवं बिना नम्बर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल सीज-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, कुल 11.74 ग्राम अवैध एम.डी. के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, बिना नम्बर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व

में थाना आसपुर देवसरा के उ०नि० जावेद अहमद खां मय हमराह उ०नि० संजय कुमार, का० कैलाश यादव व का० वीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त बृजेश पाण्डेय पुत्र बाल गोविन्द पाण्डेय, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गधियावां, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 29.09.2026 को खटखटहवा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 11.74 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine) तथा एक अदद बुलेट मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। जिसके संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु०अ०सं० 250/2026 धारा 22सी एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त बृजेश पाण्डेय द्वारा बताया गया कि वह बरामद अवैध एम.डी. को आनन्द पाण्डेय उर्फ सुधांशू पाण्डेय निवासी ग्राम रेडीगारापुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से खरीदकर लाता है तथा नशीले पदार्थ को बेचकर अपना जीविकोपार्जन एवं शौक पूरा करता है। अभियुक्त द्वारा पन्नेलाल निषाद निवासी बगोझर, थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर से भी एम.डी. खरीदकर लाने की बात बताई गई। अभियुक्त के मोबाइल फोन में उक्त व्यक्तियों से व्हाट्सएप कॉल/चैट एवं यूपीआई के माध्यम से लेन-देन से संबंधित विवरण पाए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बृजेश पाण्डेय पुत्र बाल गोविन्द पाण्डेय, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गधियावां, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 51/2020, धारा- 147/323/504/506/427 भादवि, थाना- आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं०- 215/2023, धारा- 323/504/506/427/435 भादवि, थाना- आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं०- 280/2023, धारा- 286/427/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)Va एससी/एसटी एक्ट, थाना- आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु०अ०सं०- 104/2022, धारा- 323/504/506 भादवि, थाना- पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

11.74 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine)
01 अदद बुलेट मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जावेद अहमद खां मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार, का0 कैलाश यादव व का0 वीरेन्द्र यादव, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण, दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अपहरण, दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 सहबाज अहमद गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह का0 राम प्रकाश यादव व का0 नीरज पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 226/2026 धारा 87/61(2)/351(3)/64 बीएनएस से संबंधित 01 नामजद वांछित अभियुक्त मो0 सहबाज अहमद पुत्र मो0 शकील अहमद, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बारौती, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर थाना करनलगंज क्षेत्रान्तर्गत सादिया मोहल्ले में एक कमरे से दिनांक 29.09.2026 को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना के दौरान शक्ति होटल, रामबाग, प्रयागराज से प्राप्त साक्ष्यों एवं पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 सहबाज अहमद पुत्र मो0 शकील अहमद, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बारौती, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह का0 राम प्रकाश यादव व का0 नीरज पटेल, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 फिरोज खान मय हमराह का0 राजकिशोर चौहान व रि0म0का0 काजल सिंह व रि0म0का0 प्रियंका गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/शान्ति व्यवस्था/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय एससी/एसटी एट्रोसिटीज स्पेशल कोर्ट प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट सम्बन्धित Session Case/339/2023 राज्य बनाम गुल्फान खान, अ0सं0 310/2015 धारा 143, 352, 504, 332 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्ता आसमा बानो पुत्री अलगू खान, निवासी ग्राम हरिहरगंज बाजार सण्डौरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- आसमा बानो पुत्री अलगू खान, निवासी ग्राम हरिहरगंज बाजार सण्डौरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 फिरोज खान मय हमराह का0 राजकिशोर चौहान व रि0म0का0 काजल सिंह व रि0म0का0 प्रियंका गुप्ता, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।